भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 627

उत्तर देने की तारीख- 06/02/2025

असम में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा

627. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार असम में आदिवासी या "चाय जनजाति", चुटिया, कोच-राजबोंगशी, मटक, मोरन और ताई-अहोम समुदायों सहित जनजातियों की दीर्घकालिक माँग के दृष्टिगत उन्हें अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने असम में उक्त जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की जांच के लिए कोई उपाय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ख): असम राज्य सरकार से ताई अहोम, चुटिया, मटक, मोरन, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजातियों को शामिल करने की सिफारिश प्राप्त हुई है।

भारत सरकार ने दिनांक 15.6.1999 को (25.6.2002 एवं 14.9.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों को तय करने की प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है और विधान (कानून) में संशोधन किया जा सकता है जिनकी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा सिफारिश की गयी हो और उन्हें उचित ठहराया गया हो तथा इस पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की सहमति प्राप्त की गई हो। प्रस्तावों पर समस्त कार्रवाई इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती है।

(ग) से **(घ):** असम राज्य सरकार ने सूचित किया है कि:

(i) असम सरकार ने इन समुदायों की सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक स्थिति के लिए मटक स्वायत्त परिषद, मोरन स्वायत्त परिषद और कामतापुर स्वायत्त परिषद, आदिवासी कल्याण और विकास परिषद तथा अहोम और चुटिया समुदाय के लिए विकास परिषदों का गठन किया है। इन परिषदों को अपने समुदाय के लिए विकास योजनाएं शुरू करने के लिए वार्षिक बजट में पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है।

(ii) समुदाय की तुलनात्मक असमानता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने इन छः (6) समुदायों के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई आदि शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आरक्षण किया है।

(iii) आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न चाय बागान क्षेत्रों में 200 (दो सौ) आदर्श चाय बागान हाई स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इन स्कूलों ने चाय बागान श्रमिकों और बच्चों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में एक समग्र बदलाव लाया है। ये स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कुशल शिक्षकों, प्रौद्योगिकी, स्मार्ट कक्षाओं और छात्रों के समग्र विकास के लिए भविष्य की संभावनाओं और योजनाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इनमें से 116 को 2023 से पूरी तरह कार्यात्मक बनाया गया है। 2-3 वर्षों की अवधि के भीतर, इन मॉडल स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नत (अपग्रेड) किया जाएगा।

*****